## आदेश

जैसा कि विदित है कोविड–19 कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए सराकर द्वारा आगामी 1 माह (1 जून, 2020 से 30 जून, 2020 तक) **Phased Re-opening (Unlock 1)** के दिशा निर्देश जारी किये गये है। जिसके द्वारा लॉकडाउन की अवधि में मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) के बारे में आगामी आदेशों तक नगरपालिकाओं के भीतर बाजार में Social distancing सुनिश्चित करने हेतू निर्देशित किया गया है। जिसके फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश पृ0 कमांक 692/एम0बी0 दिनांक 27–05–2020 द्वारा दिनांक 31–05–2020 तक नूहं शहर में फल एवं सब्जी क्रय–विक्रय हेतू नई सब्जी मण्डी, नूहं में अस्थाई तौर पर फल एवं सब्जी की दुकानें/रेहडियां लगाने के साथ–साथ COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए कुछ शर्तो पर अनुमति प्रदान की गई थी।

अतः वर्तमान स्थिती से निपटने के लिए मैं, पंकज, भा0प्र0से0, जिलाधीश नूहं, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की उप धारा 30 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लॉकडाउन के दौरान आगामी आदेशों तक नूहं शहर में फल एवं सब्जी क्रय–विक्रय हेतू नई सब्जी मण्डी, नूहं में अस्थाई तौर पर फल एवं सब्जी की दुकानें/रेहडियां लगाने के साथ–साथ COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए निम्नलिखित शर्तो के आधार पर अनुमति प्रदान करता हूँ:–

1. सभी आढती एंव फुटकर विकेता सब्जी मण्डी में कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए सरकार व मार्केट कमेटी द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का पालन करेगें।
2. मण्डी में स्वयं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगें तथा फल व सब्जी खरीदने आने वाले लोगो को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिये प्रेरित करेगें।
3. सभी आढती एवं फुटकर विक्रेता स्वयं मास्क लगायेंगे और फल व सब्जी खरीदने के लिये आने वाले लोगों को भी मास्क उपलब्ध करायेंगे।
4. सभी आढती एवं फुटकर विक्रेता अपनी दुकान पर Hand Sanitizer रखेंगें व समय–समय पर इसका इस्तेमाल करते रहेंगें।
5. समय–समय पर अपनी दुकान व आढत को Spray Machine द्वारा Sanitizer करवायेंगे।
6. सभी आढती एवं फुटकर विक्रेता अपनी दुकान पर भीड इकठ्ठी नही होने देंगें।
7. दिल्ली, गुरुग्राम व फरीदबाद आदि शहरों से फल व सब्जी नही लायेंगें।
8. यदि मण्डी में किसी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति आने का पता चलता है तो तुरनत मार्केट को सूचित करेंगें।

उप मण्डल मैजिस्ट्रेट, नूहं, नायब तहसीलदार नूहँ तथा सचिव, मार्किट कमेटी नूहँ उक्त आदेशों को लागू कराने के लिए जिम्मेवार रहेंगें।

उप मण्डल मैजिस्ट्रेट, नूहँ इस सम्बन्ध में स्थान परिवर्तन बारे निर्णय लेने में सक्षम रहेंगें।

Scanned with CamScanner

यह आदेश जिला मैजिस्ट्रेट, नूहं सचिव मार्किट कमेटी/नगरपालिका नूहं के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया जावे तथा नूहं नगरपालिका क्षेत्र में ढोल बजाकर एवं जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, नूहं की वैन द्वारा मुनादी करवाकर तथा सोशल मिडिया के माध्यम से प्रचार किया जावे।

उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा आई0पी0सी0 की धारा 188 के तहत दण्ड का भागी होगा।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर से आज दिनांक 01.06.2020 को जारी किये गए।

Seal of the Court District Magistrate

सत्यमेव जयते

जिलाधीश, नूहं।

पृ0 क्रमांक — 696 /एम0बी0 दिनांक :- 01-06-2020.

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को इस कार्यालय के आदेश पृ0कमांक 692/एम0बी0 दिनांक 27-05-2020 की निरन्तरता में सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. पुलिस अधिक्षक, नूहँ।
2. अतिरिक्त उपायुक्त, नूहँ।
3. उप मण्डल मैजिस्ट्रेट, नूह।
4. जिला राजस्व अधिकारी, नूहँ।
5. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, नूहँ।
6. सिविल सर्जन, नूहँ।
7. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, नूहँ।
8. डी0आई0ओ., एन0आई0सी0, नूहँ।
9. तहसीलदार, नूहँ।
10. सचिव, मार्किट कमेटी, नूहँ।
11. सचिव, नगरपालिका, नूहँ।

जिलाधीश, नूहं।

Scanned with CamScanner